बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 6/वि01–1063/13– 1372 पटना, दिनांक:– 22.7.14

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 12276.66 लाख (एक सौ बाईस करोड़ छिहत्तर लाख छियासठ हजार रूपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति।

आदेश: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर उर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख–रखाव हेतु 12276.66 लाख (एक सौ बाईस करोड़ छिहत्तर लाख छियासठ हजार रूपये) की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना की जिलावार विवरण परिशिष्ट– I पर संलग्न है।

2. भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु ली जाने वाली योजना की लागत राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। साथ ही भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति लोगों के लाभार्थ राशि कर्णांकित की जाती है। उसी राशि के तहत इस योजना के लिए व्यय का वहन किया जायेगा। तदनुसार प्रस्तावित योजना में रू0 6138.33 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार एवं शेष राशि रू0 6138.33 लाख रूपये राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

इस योजना के परिचालन एवं रख–रखाव (Operation & Maintenance) हेतु राशि का वहन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिचालन एवं रख–रखाव (O&M) हेतु कर्णांकित (15 प्रतिशत) राशि से किया जाना है। प्रस्तावित योजना में पाँच वर्ष का परिचालन एवं रख–रखाव का प्रावधान है।

3. परिशिष्ट– I में जिलावार अंकित योजनाओं की लागत राशि में केन्द्रांश मद की राशि (50%) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को विमुक्त राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) के NRDWP, Programme Fund के बैंक बचत खाता संख्या 31458965548 में उपलब्ध राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विमुक्त की जाएगी।

4. इस योजना पर होनेवाले केन्द्रांश मद (50%) का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102– ग्रामीण जल पूर्ति–उप शीर्ष –0230– राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड–P4215011020230–विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्यांश (50%) राशि का व्यय योजना बजट शीर्ष 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–102– ग्रामीण जल पूर्ति–उप शीर्ष –0330– राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र कोड–P4215011020330–विषय शीर्ष–53 01– मुख्य

आदि. ही. मैनकर

निर्माण कार्य; 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– उप शीर्ष –0312– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र–कोड–P4215017890312– विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य एवं 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01– जल पूर्ति–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना– उपशीर्ष –0317–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम विपत्र–कोड–P4215017960317–विषय शीर्ष–53 01– मुख्य निर्माण कार्य में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

6. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर –योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007– 96 वि0 (2), दिनांक 03.01.08 के आलोक में दिनांक–17.02.2014 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांक–03.06.2014 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी है।

9. राज्यांश मद की राशि हेतु वर्ष 2014–15 के योजना बजट में प्रावधान है।

10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अनु0– यथोपरि।

AA 21/7/14
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

पटना, दिनांक– 22.7.14

ज्ञापांकः– 1372

प्रतिलिपिः–

1. अनु0 सहित वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ अधीक्षण अभियंता (मो0)/ विशेष पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0)/उप निदेशक, (मूल्यांकन/निदेशक, पी0एम0यू0/प्रशाखा–6/आई0टी0, मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित सभी संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल /संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

AA 21/7/14
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

परिशिष्ट –1

वर्ष 2013–14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बसावटों में सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी पाईप जलापूर्त्ति योजना के निर्माण की योजना ।

क्र0 सं0	जिला का नाम	लो0 स्वा0 प्रमंडल का नाम	प्रस्तावित योजनाओं की संख्या (अदद में)	वित्तीय लक्ष्य @ रु0 22.99 लाख प्रति यूनिट (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5
1	पटना	पटना पूर्व	11	252.890
2		पटना पश्चिम	12	275.880
3	नालन्दा	बिहारशरीफ	12	275.880
4		हिलसा	8	183.920
5	भोजपुर	आरा	14	321.860
6	बक्सर	बक्सर	11	252.890
7	अरवल	अरवल	5	114.950
8	रोहतास	सासाराम	19	436.810
9	औरंगाबाद	औरंगाबाद	11	252.890
10	कैमूर	भभुआ	11	252.890
11	गया	गया	24	551.760
12	जहानाबाद	जहानाबाद	7	160.930
13	नवादा	नवादा	14	321.860
14	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	16	367.840
15	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	17	390.830
16	शिवहर	शिवहर	5	114.950
17	वैशाली	हाजीपुर	16	367.840
18	सारण	छपरा	20	459.800
19	सिवान	सिवान	19	436.810
20	गोपालगंज	गोपालगंज	14	321.860
21	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	14	321.860
22		ढाका	13	298.870
23	पश्चिमी	बेतिया	18	413.820
24	दरभंगा	दरभंगा	18	413.820
25	मधुबनी	मधुबनी	21	482.790
26	समस्तीपुर	समस्तीपुर	20	459.800
27	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	12	275.880
28		भागलपुर पश्चिम	4	91.960
29	बांका	बांका	11	252.890
30	मुंगेर	मुंगेर	9	206.910
31	जमुई	जमुई	10	229.900
32	शेखपुरा	शेखपुरा	6	137.940
33	बेगूसराय	बेगूसराय	18	413.820
34	खगड़िया	खगड़िया	7	160.930
35	लखीसराय	लखीसराय	7	160.930
36	पूर्णियां	पूर्णियां	14	321.860
37	किशनगंज	किशनगंज	7	160.930
38	अररिया	अररिया	9	206.910
39	कटिहार	कटिहार	16	367.840
40	सहरसा	सहरसा	10	229.900
41	सुपौल	सुपौल	11	252.890
42	मधेपुरा	मधेपुरा	13	298.870
	कुल		534	12276.660

(एक सौ बाईस करोड़ छिहत्तर लाख छियासठ हजार रुपये मात्र)

2/9/13

(ए0 के0 श्रीवास्तव)

मुख्य अभियंता (नागरिक)